न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2025/68 **दायरा दिनांक : 15.04.2025**

उनवान

श्रीमती श्रद्धा तिवारी पत्नि श्री अरूण जी गौतम, जाति ब्राहम्ण, निवासी मकान नम्बर–ए–44, शुभ आंगन नीयर डी.सी.एम. सर्किल, रायपुरा कोटा राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1. अमरलाल पुत्र श्री कन्हैयालाल जी उर्फ कान्हा जी, जाति बैरवा, निवासी ग्राम सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बांरा
2. भूली बाई पुत्री श्री कन्हैयालाल जी उर्फ कान्हा जी, जाति बैरवा, निवासी ग्राम सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बांरा
3. केशर बाई पुत्री श्री कन्हैयालाल जी उर्फ कान्हा जी, जाति बैरवा, निवासी ग्राम सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बांरा
4. नेनकी बाई पुत्री श्री कन्हैयालाल जी उर्फ कान्हा जी, जाति बैरवा, निवासी ग्राम सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बांरा
5. अशोक कुमार पुत्र श्री कन्हैयालाल जी, जाति ब्राहम्ण, निवासी हरिशचन्द कॉलोनी, वार्ड नम्बर–27 झालरापाटन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड पिन कोड नम्बर–326023
6. मनोज कुमार पुत्र श्री कन्हैयालाल जी, जाति ब्राहम्ण, निवासी शोरी मेडिकल स्टोर वालो के मकान के सामने, वार्ड नम्बर–27, सुभाष नगर, झालरापाटन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राज० पिन कोड नम्बर–326023
7. राहुल कुमार पुत्र श्री कन्हैयालाल जी, जाति ब्राहम्ण, निवासी हरिशचन्द कालोनी वार्ड नम्बर–27 सुभाष नगर झालरापाटन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड पिन कोड नम्बर–326023
8. रमेश पुत्र श्री बाबूलाल जी, जाति बैरवा, निवासी ग्राम सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बांरा
9. सुरेश पुत्र श्री बाबूलाल जी, जाति बैरवा, निवासी ग्राम सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बांरा
10. जगन्नाथ पुत्र माधोलाल जी, जाति बैरवा, निवासी ग्राम सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बांरा
11. सुनील पुत्र श्री छोटूलाल, जाति बैरवा, निवासी ग्राम सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बांरा
12. रेवडी लाल पुत्र श्री रामलाल, जाति बैरवा, निवासी ग्राम सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बांरा
13. कुन्जबिहारी पुत्र श्री रामलाल जी, जाति बैरवा, निवासी सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बांरा
14. ओम पुत्र श्री किशोर, जाति बैरवा, निवासी ग्राम सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बांरा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

15. रामस्वरूप पुत्र श्री किशोर, जाति बैरवा, निवासी ग्राम सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बांरा
16. दिनेश पुत्र श्री कान्हा जी, जाति बैरवा, निवासी ग्राम सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बांरा
17. सोनू पुत्र श्री रामेश्वर, जाति बैरवा, निवासी ग्राम सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बांरा
18. राकेश पुत्र श्री रामेश्वर जी, जाति बैरवा, निवासी ग्राम सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बांरा
19. सत्यनारायण पुत्र श्री किशनलाल जी, जाति बैरवा, निवासी ग्राम सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बांरा
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मांगरोल, जिला बांरा राज०

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री नरेन्द्र गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री संजय पाटोदी अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1, 2, 3 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 28.11.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 15/2023/प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 04.03.2025 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 4 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट तथा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम सीसवाली, तहसील मांगरोल मे वर्तमान जमाबन्दी सवंत 2073 से 2076 अनुसार आराजी खाता सं० नया 704, पुराना 973 में खसरा नं० 1185 रकबा 0.80 हैक्टर, कुल किता 1 कुल रकबा 0.80 हैक्टर स्थित है। उक्त आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अप्रार्थी कम 4 के नाम खातेदारी में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल ने अपने निर्णय दिनांक 04.03.2025 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि आदेश जैर अपील कानून, न्याय एवम तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

स्वीकार फरमाकर अप्रार्थीगण नम्बर–1 लगायत 16, प्रतिवादी नम्बर–4 श्रद्धा तिवारी अपीलाण्ट के विरूद्ध ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाने में त्रुटि की है कि ग्राम सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बांरा की खसरा नम्बर–1185 रकबा 0.80 हैक्टयर आराजी को रहन, बेचान नहीं करे, मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी नम्बर–4, अपीलाण्ट को विधिवत रूप से सूचना दिये बिना ही, सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उस पर सम्मन, नोटिस की तामील होना मानकर उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर आदेश जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 लगायत 4 द्वारा प्रतिवादी अपीलाण्ट का अपूर्ण पता अंकित किया गया है, इस तथ्य पर अधीनस्थ नयायालय ने गोर नहीं फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गोर नहीं फरमाया कि वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 लगायत 4 का प्रार्थना–पत्र विषयक अपील विषयक उपरोक्त कृषि भूमि में कोई हक एवम अधिकार नहीं है, हित निहित नहीं है तथा कब्जा नहीं है, इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाकर प्रतिवादी अपीलाण्ट के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाने में त्रुटि की है। प्रतिवादी अपीलाण्ट उपरोक्त कृषि आराजी के खातेदार टीनेन्ट है, उपरोक्त कृषि आराजीयात पर बहैसियत क्रेता एवम खातेदार टीनेन्ट वैधानिक रूप से वक्त खरीद से ही निरन्तर काबिज चली आ रही है एवम वर्तमान में भी काबिज है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदार टीनेन्ट एवम काबिज व्यक्ति के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाने में त्रुटि की है। खातेदार टीनेन्ट एवम काबिज व्यक्ति के विरूद्ध कानूनन अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है, इस कानूनी बिन्दु पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार व प्रमाण के मनमाने तौर पर सर्वथा गलत रूप से उपरोक्त भूमि पर वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 लगायत–4 का कब्जा होना मानने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण रेस्पोडेन्ट का प्रथम दृष्टया प्रकरण होना मानकर अपूर्णीय क्षति एवम सुविधा का सन्तुलन उसके पक्ष में होना मानकर उसका कब्जा होना गलत रूप से मानकर आदेश जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। वादीगण रेस्पोडेन्ट का अपील विषयक भूमि पर कब्जा नहीं है, इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के प्रतिवादी अपीलाण्ट का अपूर्ण पता होना आदेशिका में वर्णित कर मनमाने तौर पर प्रतिवादी अपीलाण्ट का सम्मन अखबार में साया कराने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाण्ट के कम्पलीट यही पते पर अपीलाण्ट का सम्मन एवम नोटिस प्रेषित कराने का आदेश प्रदान करना चाहिये था, यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी अपीलाण्ट के विरूद्ध

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी क्षेत्र

दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का कोटा में पर्याप्त सरकूलेशन नहीं है, अपीलाण्ट एक महिला है, उसके यहां दैनिक समाचार पत्र दैनिक नवज्योति नहीं आता है। राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र आता है, अपीलाण्ट दैनिक नवज्योति समाचार पत्र नहीं पढ़ती है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलाण्ट पर सम्मन/नोटिस की तामील होना मानकर उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करने में त्रुटि की है। कानूनन प्रतिवादी के पूर्ण पते पर व्यक्तिगत रूप से जरिये नजारत सम्मन नोटिस भेजे बिना ही जरिये पोस्ट ऑफिस रजिस्टर्ड भेजे बिना ही सीधे सम्मन/नोटिस समाचार पत्र में साया कराने का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त कृत्य विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में हुक्म जैर अपील पारित किया है। अपीलाण्ट वादी रेस्पोडेन्ट क्रम–1 लगायत 4 की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत करना चाहता है तथा अपने कथन के समर्थन में दस्तावेज पेश करना चाहता है, जिस बाबत अपीलाण्टस को अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित एवम विधि संगत होगा। अपील विषयक भूमि अपीलाण्ट द्वारा ऋण लेने के कारण बैंक के पास बंधक है, इस तथ्य को नजर अंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने में त्रुटि की है। अपीलाण्ट के खाते एवम कब्जे की उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलाण्ट ने धारा–251–ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 में वादीगण के विरूद्ध कार्यवाही कर रखी है, जो विचाराधीन है। इस तथ्य पर गोर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने 70–75 वर्ष पुराने गलत एवम त्रुटिपूर्ण रिकॉर्ड को आधार बनाकर आदेश जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित फरमाया जावे कि वह अपीलाण्ट को वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत करने तथा अपने समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई कर पुनः विधि सम्मत रूप अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र पर आदेश पारित करने की कृपा करे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया, पेश किये गये दस्तावेज राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने

(दीपचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

दावा किया था। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.03.2025 के विरूद्ध प्रतिवादी नं. 4 ने अपील प्रस्तुत की है। वादग्रस्त आराजी खसरा नं० 1185 रकबा 0.80 हैक्टर, कुल किता 1 कुल रकबा 0.80 हैक्टर प्रतिवादी अपीलांट के खाते की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को प्रोपर तामील कराये बिना ही अखबार में सम्मन तामील करवाके निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है। अधीनस्थ न्यायालय ने आर्डर 5 सी. पी. सी. की पालना नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कब्जे के सन्दर्भ में कोई तथ्य अंकित नहीं किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा किस आधार पर माना यह स्पष्ट नहीं किया। संवत 2009 लगभग 76 वर्ष पहले के दस्तावेजों के आधार पर कब्जा कैसे माना जा सकता है। खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड और मौके की यथास्थिति का आदेश पारित किया है जो स्पीकिंग आदेश नहीं है। वादग्रस्त आराजी हमने ब्राहमण से क्रय की है। अतः धारा 42 का उल्लंघन नहीं है। रेस्पोडेंट ने कब्जे के सन्दर्भ में लगान, पिलाई की रसीद तथा पडोसी काश्तकारों के शपथ पत्र भी पेश नहीं किये हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में 2023 (1) आर.आर.टी. पेज 27, 1988 एल.एन.डब्ल्यू. पेज 138, 2015 (1) आर.आर.टी. पेज 633 व 2013 (1) आर.आर. टी. पेज 133 की नजीरे उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में जो राजस्व रिकार्ड और पंजीकृत विक्रय पत्र पेश किया है उसमें भी वही पता अंकित है जिसमें सम्मन/तामील करवाये गये हैं। खसरा नं. 263, 264 कान्हा पुत्र ग्यारस्या की खातेदारी की है जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं। खसरा नं. 555 संवत 2014–2023 में केदारनाथ पुत्र जगन्नाथ के नाम दर्ज जिसकी जाति ब्राहमण है। वादग्रस्त आराजी दूसरे के नाम दर्ज करने का सैटलमेंट को कोई अधिकार नहीं है। धारा 42 का उल्लंघन हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट कम 1 ता 4 द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक दावा पेश किया गया तथा दावे के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल में वर्तमान जमाबंदी संवत 2073 से 2076 के अनुसार आराजी खाता संख्या नया 704 पुराना 973 में खसरा नं. 1185 रकबा 0.80 हैक्टर राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी कम 4 के नाम खातेदारी में दर्ज है जिसे ही विवादित आराजी से संबोधित किया गया है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण कम 5 ता 16 के पूर्वजों के खातेदारी में दर्ज थी एवं वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1185 रकबा 0.80 हेक्टर का हाल सेटलमेंट सवंत 2064 से 2062 के अनुसार साबिक खसरा नं. 555 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा था एवं गत बंदोबस्त संवत 2014 से 2023 के अनुसार उक्त खसरा नं. 555 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा का साबिक खसरा नं. 263 व 264 था जो मिलान क्षेत्रफल से प्रमाणित है। कन्हैयालाल उर्फ कान्या प्रार्थीगण के पिता है जो विवादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण काबिज काश्त होकर प्रत्येक वर्ष फसल बोते व काटते चले आ रहे है, परंतु दौराने सेटलमेंट बंदोबस्त संवत 2014 से 2023 में राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने त्रुटिवश खसरा नं. 263 व 264 को खसरा नं. 555 में तब्दील करते समय विवादित आराजी को केदारलाल पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राहम्ण निवासी सीसवाली के नाम खातेदारी में इन्द्राज कर दिया जबकि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सवंत 1998 से 2001 व जमाबंदी संवत 2006 से 2009 के अनुसार उक्त विवादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण कम 5 ता 16 के पूर्वज शंकर पुत्र सुखा एवं प्रार्थीगण के पिता श्री कन्हैयालाल उर्फ कान्या के नाम दर्ज होने चाहिए थी।

विवादित आराजी केदारलाल पुत्र जगन्नाथ के नाम खातेदारी में त्रुटिवश गलत तौर पर इन्द्राज होने के बाद उक्त विवादित आराजी केदारलाल की मृत्यु पर शांतिबाई बेवा केदारलाल अनारबाई पुत्री केदारलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गयी तथा शांतिबाई व अनारबाई के देहावसान पश्चात् नामान्तकरण संख्या 2314 दिनांक 05.01.2016 से विवादग्रस्त आराजी अप्रार्थी कम 1 ता 3 दर्ज हुई। अप्रार्थी कम 1 ता 3 ने जानबूझकर यह जानते हुए कि प्रार्थीगण विवादित आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है, विवादग्रस्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विकय विलेख दिनांक 09.04.2021 को प्रतिवादी कम 4 को बेचान कर दिया है जो विधि विरूद्ध होने से विरूद्ध प्रार्थीगण प्रारंभतः प्रभाव शून्य है। अतः

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण, विवादित भूमि को रहन, बेचान व अन्य प्रकार से मुन्तकिल व खुर्द–बुर्द नहीं करे तथा प्रार्थी को शांतिपूर्वक काबिज काश्त बना रहने देवे तथा उनके कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे ऐसा न तो स्वयं करे ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावे तथा अप्रार्थी कम 17 ताफैसला विवादित आराजी के रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल ने अपने निर्णय दिनांक 04.03.2025 से प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनकर पत्रावली में सलंग्न दस्तोवजों एवं राजस्व रिकार्ड के आधार पर वादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को स्वीकार कर अप्रार्थी कम 1 ता 17 के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का निर्णय पारित किया है, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट अप्रार्थी कम 4 द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न फोटोप्रति जमाबंदी संवत 1998 से 2001 खाता मौजा सीसवाली निजामात मांगरोल के अनुसार खसरा नं. $\frac{3358}{263-264}$ की 8 बीघा 4 बिस्वा आराजी शंकर व कान्हा के खाते दर्ज रिकार्ड है। फोटोप्रति मिलान क्षेत्रफल संवत 2014 से 2023 ग्राम सीसवाली, तहसील मांगरोल के अनुसार खसरा नं. 555 गत खसरा नं. 263, 264 से बना है। फोटोप्रति मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग संवत 1 अप्रैल 1987 से 31 मार्च 2007 के अनुसार हाल खसरा नं. 1185 रकबा 0.80 हेक्टर साबिक खसरा नं. 555 रकबा 4.19 बीघा से बना है। फोटोप्रति जमाबंदी संवत 2073 से 2076 ग्राम सीसवाली, तहसील मांगरोल के अनुसार खसरा नं. 1185 रकबा 0.80 हेक्टर आराजी श्रद्धा तिवारी पत्नी अरूण गौतम के खाते दर्ज रिकार्ड है। **प्रार्थी रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में संवत 1998 से 2001 एवं 2073 से 2076 की जमाबंदी के अतिरिक्त अन्य कोई जमाबंदी प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रार्थी रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 4 द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र में सैटलमेंट विभाग द्वारा विवादित आराजी के खातेदारों के नाम में रद्दोबदल करने के कथन की पुष्टि प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड से नहीं होती।** अपीलांट अप्रार्थी कम 4 द्वारा आर्डर 41 नियम 27 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रमाणित नकल पंजीकृत विक्रय पत्र के अनुसार विवादित आराजी अपीलांट ने अशोक कुमार, मनोज कुमार, राहुल कुमार पुत्रान कन्हैयालाल, जाति ब्राहमण अप्रार्थी कम 1 लगायत 3 से क्रय की है। वर्तमान में अपीलांट विवादित आराजी की रिकार्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी की रिकार्डेड खातेदार अपीलांट अप्रार्थी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

कम 4 को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एवं प्रार्थीगण द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से नहीं होने के बावजूद एक रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध एकतरफा अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश जारी करने में विधिक त्रुटि की है। अतः हम अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में चाहे गये अनुतोष के अनुसार प्रकरण को अपीलांट की सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित करना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.03.2025 खारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.01.2026 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/11/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा